

सूचना का अधिकार

आरटीआई- अपील प्राधिकारी (ए.ए.) और मुख्य लोक सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.) राजकोट

आरटीआई अधिनियम 4(1)बी के तहत जानकारी: इस पैरा के तहत वांछित सभी रेल्वे रेकॉर्ड्स विभागवार विधिवत सूचीबद्ध और अनुक्रमित पैरा 4(1)बी (नीचे उल्लेखित) के तहत दिए गए हैं।

आरटीआई अधिनियम 4(1)बी के तहत जानकारी:

विभाग

वित्त

वाणिज्य

इंजिनीरिंग

बिजली - पावर

बिजली - कर्षण
वितरण एवं संचालन

यांत्रिकी

चिकित्सा

ऑपरेटिंग

कार्मिक

राजभाषा

संरक्षा

सुरक्षा

भंडार

सिग्नल एवं
दूरसंचार